बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

—:: शुद्धि—पत्र ::—

सं० सं०—17/एल—02—09/2021 पटना, दिनांक :— / /2025

स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या—1005(17), दिनांक—09.12.2021 के द्वारा डॉ० मनोहर लाल, सहायक प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, नालान्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को दिनांक—06.12.2021 से 20.12.2021 तक विदेश (शिकागो/यू०एस०ए०) यात्रा की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2. डॉ० मनोहर लाल द्वारा विदेश यात्रा के उपरान्त दिनांक—27.12.2021 को अपने कार्य स्थल पर योगदान करने के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या—377(17), दिनांक—30.06.2022 द्वारा डॉ० लाल के दिनांक—26.12.2021 तक कुल—06 दिनों की विदेश यात्रा की अवधि को विस्तारित किये जाने के क्रम में टंकन त्रुटिवश विदेश यात्रा की विस्तारित तिथि—**26.12.2020** अंकित हो गयी।

3. अतः उक्त के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या—377(17), दिनांक—30.06.2022 में अंकित **"दिनांक—26.12.2020"** के स्थान पर संशोधित रूप से **"दिनांक—26.12.2021"** पढा जाय।

4. उक्त आदेश संख्या—377(17) दिनांक—30.06.2022 के शेष भाग यथावत् रहेंगे।

ह0/—
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक— 17/एल—02—09/2021 1398(17) **पटना, दिनांक :—**31/12/**2025**

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— डा0 मनोहर लाल, तत्कालीन सहायक प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—02, 03, 08, 09, 17 एव 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Renu Kumari 31/12/25

विशेष कार्य पदाधिकारी।